

प्रपत्र डीए 3

बैंक जमा के संबंध में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 45जेडए तथा बैंकिंग कंपनियाँ (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(6) के अंतर्गत नामांकन में भिन्नता

मैं/हम..... [नाम और पता(पते)]
 (नाम और पता) के नाम से किया गया नामांकन
 रद्द करता/करती हूँ/करते हैं और एतद्वारा निम्न व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं जिसे
 मेरी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु होने की दशा में जमा की राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया
 है..... द्वारा (उस शाखा/कार्यालय का नाम और पता जिसमें जमा कराया
 गया है) वापस लौटाई जा सकती है।

जमा		नामित व्यक्ति					
प्रकृति	विशिष्ट सं.	अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो	नाम	पता	जमाकर्ता से संबंध, यदि कोई हो	आयु	यदि नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो जन्म दिनांक

+2. चूंकि नामित व्यक्ति इस दिनांक को नाबालिग है, अतः मैं/हम श्री/श्रीमती/कु.
 (नाम, पता और आयु) को नामित व्यक्ति के नाबालिग होने के दौरान,
 मेरी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त
 करता/करती हूँ/करते हैं।

स्थान:

दिनांक:

गवाह(गवाहों) का(के) नाम, हस्ताक्षर एवं पता(पते)#

*जमाकर्ता(जमाकर्ताओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे का(के) निशान

+ यदि नामित अवयस्क नहीं है, तो काट दें।

* जहाँ नाबालिग के नाम से जमा कराया गया हो, वहाँ नामांकन में भिन्नता होने पर नाबालिग की ओर से कार्यवाही करने के लिए कानूनी रूप से पात्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

अंगूठे के निशान को दो गवाहों द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।